कार्यालय जिलाधिकारी,सम्भल

संख्या- 463 /आबकारी/देशी शराब दुकान/व्यवस्थापन/2021-22/दिनांक सितम्बर 6 ,2021

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी के आदेश दिनांक-22.08.2021 द्वारा निलंबित देशी शराब की दुकान हरथला, टाण्डा कोठी एवं सिरसी का 14 दिवसों (08.09.2021 से 21.09.2021 तक) की अवधि या नियमित व्यवस्थापन के दिनांक इनमें से जो भी पहले हो, के लिए आगणित देयताओं पर आफर दिनांक 07.09.2021 को अपरान्ह 4:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते है। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से दुकान का व्यवस्थापन कराया जायेगा। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय प्रार्थना पत्र के साथ आधार कार्ड व पैन कार्ड की छायाप्रति एवं एक फोटो संलग्न करना अनिवार्य होगा । दिये गये ऑफर में अंकित बेसिक लाइसेंस फीस की धनराशि चयन के पश्चात् आवंटी द्वारा आनलाइन जमा करनी होगी । चयन के पश्चात् लाइसेंस फीस के 1/10 भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि का बैंक ड्राफ्ट (जो जिला आबकारी अधिकारी,सम्भल के नाम देय होगा), जमा करना होगा। प्राप्त ऑफर दिनांक 07.09.2021 को अपरान्ह 5:00 बजे कार्यालय जिलाधिकारी, सम्भल में खोले जायेगे। दुकानों का विवरण निम्नवत् है:-

दुकान का नाम/शॉप आई.डी.	वार्षिक एम0जी0क्यू0	01 दिन का एम0जी0क्यू0	14 दिन का एम0जी0क्यू0	14 दिन के लिए बेसिक लाइसेंस फीस (रू0 में)
देशी शराब दुकान हरथला (15267)	44376 ब0ली0	122 ब0ली0	1708 ब0ली0	60640.00
देशी शराब दुकान टाण्डा कोठी (15327)	40680 ब0ली0	112 ब0ली0	1568 ब0ली0	55670.00
देशी शराब दुकान सिरसी (14815)	70104 ब0ली0	193 ब0ली0	2702 ब0ली0	95930.00

इच्छुक व्यक्ति अपना ऑफर दिनांक 07.09.2021 के अपरान्ह 4:00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, चन्दौसी ग्रीन्स, जनपद-सम्भल में प्रस्तुत कर सकते है। विस्तृत जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षको से प्राप्त की जा सकती है।

Vijay Singh 04.9.21
(विजय सिंह चौहान)
जिला आबकारी अधिकारी,
सम्भल।

Sanjiv
(संजीव रंजन)
जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी
सम्भल।

संख्या- /आबकारी-सम्भल। तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला, जनपद सम्भल को इस अनुरोध के साथ कि विज्ञप्ति सशुल्क न्यूनतम स्थान मे अपने समाचार पत्र में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा बिल जिला सूचना अधिकारी, सम्भल से प्रमाणित कराकर भुगतान हेतु प्रस्तुत करें।
2. जिला सूचना अधिकारी सम्भल को जनपद की बेवसाइड पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

Sanjiv
जिला अधिकारी
सम्भल

Scanned with CamScanner